न्यायालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्रांक 6626 /पटना, दिनांक 03.8.16

07/नि० (विधि–12) विविध–71/13

प्रेषक,

नरेन्द्र प्रसाद मंडल,
निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना
संयुक्त निबंधक (मु०)/(पणन), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना
उप निबंधक (मु०)/(ईख)/(न्या०), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना
विशेष पदाधिकारी (उपभोक्ता), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना
सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ,
सभी प्रमंडलीय उप निबंधक, सहयोग समितियाँ
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी
सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ

विषय :– पत्रांक 6511 दिनांक 28.07.2016 के संबंध में स्पष्टीकरण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि पत्रांक 6511 दिनांक 28.07.2016 के निर्गतिकरण के पश्चात कतिपय भ्रातियाँ उत्पन्न हो गई है एवं कतिपय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उन्हें पूर्व में स्थानांतरित वाद पुनः अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में वापस किए जाने संबंधी पृच्छा की जा रही है। इस संबंध में कहना है कि पत्रांक 6511 दिनांक 28.07.2016 द्वारा की गई व्यवस्था अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में वर्तमान में चल रहे वादों के स्थानांतरण से संबंधित है। पूर्व में निर्गत पत्रांक 1962 दिनांक 16.03.2016 द्वारा स्थानांतरित वाद जो समादेश याचिका 13830/2015 में पारित आदेश दिनांक 12.02.2016 एवं 2015 (4) PLJR 359 में पारित आदेश के आलोक में है, से इस आदेश का कोई संबंध नही है। पूर्व के आदेश 1962 दिनांक 16.03.2016 द्वारा स्थानांतरित वाद जहाँ और जिस न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित है, उनकी सुनवाई वहीं की जानी है। साथ ही मुख्यालय स्तर पर स्थित अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार द्वारा पूर्व में स्थानान्तरित वादों की सुनवाई भी उसी न्यायालय द्वारा की जानी है।

पुनः जहाँ कहीं न्यायहित में विषय की महत्ता तथा आवश्यकता के आलोक में किसी वाद की सुनवाई अधोहस्ताक्षरी को अपेक्षित होगी वहाँ अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्रेतर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

03/08/16

(नरेन्द्र प्रसाद मंडल)
निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।